चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

E.mail : registrar@ccsuniversity.ac.in NAAC A++ Website : www.ccsuniversity.ac.in

पत्रांक :– आर० ओ०/1007/ दिनांक :– 12-06-2026

सेवा में,

01. प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध संस्थान/महाविद्यालय,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

02. समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर,
मेरठ।

विषयः– माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या (सिविल) संख्या–83/2010 एवं 1151/2017 में पारित आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के संलग्न पत्र संख्या 553/सत्तर–3–2026 2006547, दिनांक 29 मई, 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा न्याय विभाग के पत्र संख्या– 668/सात–न्याय–1–2026, दिनांक 15.05.2026 के क्रम में कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के प्रति भेदभाव को समाप्त करने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा कृत कार्यवाही की आख्या निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज को उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान किये गये है।

अतः शासन के उपर्युक्त पत्र के क्रम में आपसे अपेक्षा है कि न्याय विभाग के पत्र संख्याः 668/सात–न्याय–1–2026, दिनांक 15.05.2026 के क्रम में कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के प्रति भेदभाव को समाप्त करने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

उपर्युक्त प्रकरण मा0 उच्चतम न्यायालय के पारित आदेश से आच्छादित होने के कारण आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

भवदीय,

कुलसचिव 12/6/26

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

01. निर्देशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
02. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–03, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
03. वैयक्तिक सहायक कुलपति को मा0 कुलपति महोदया के संज्ञानार्थ।
04. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
05. प्रभारी, वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कुलसचिव 12/6/26

महत्वपूर्ण

संख्या- 563 /सत्तर-3-2026 2006547

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2 **कुल सचिव,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक: 29 मई, 2026

विषयः- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या-83/2010 एवं 1151/2017 में पारित आदेशों के अनुपालन में के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक **न्याय विभाग के पत्र संख्या-688/सात-न्याय-1-2026 दिनांक 15.05.2026** (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम **कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के प्रति भेदभाव को समाप्त करने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा की गयी कार्यवाही की सूचना न्याय विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।**

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कृपया प्रश्नगत प्रकरण में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0, प्रयागराज शासन को दिनांक 29-05-2026 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। **प्रकरण मा0 उच्चतम न्यायालय के पारित आदेश से आच्छादित होने के दृष्टिगत व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।**

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
Digitally signed by Shakil Ahmad Siddiqui
Date: 2026.05.29 14:43:43
(शकील अहमद सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. समस्त कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद।

आज्ञा से,
(शकील अहमद सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशो से आचछादित प्रकरण/शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध/समरण-पत्र

उत्तर प्रदेश शासन
न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय)
संख्या-688/सात-न्याय-1-2026-1927604
लखनऊ : दिनांक 14 मई, 2026

884
15/05/26

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
समाज कल्याण/नगर विकास/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/चिकित्सा शिक्षा//ग्राम्य विकास/व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास/खाद्य एवं रसद/आवास एवं शहरी नियोजन/दिव्यांगजन सशक्तिकरण/कार्मिक/बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/न्याय विभाग,उत्तर प्रदेश शासन ।

कृपया मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-582/सात-न्याय-1-2026-1927604, दिनांक 20.03.2026 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या-83/2010 FEDERATION OF LEPY. ORGAN. (FOLO) & ANR. VERSUS UNION OF INDIA & ORS. एवं रिट याचिका (सिविल) संख्या-1151/2017 (PIL-W) (IA No.38224/2020-INTERVENTION APPLICATION) में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों का अनुपालन समयान्तर्गत सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए सूचना न्याय विभाग को अविलम्ब प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी है ।

2- पुन: अवगत कराना है कि उक्त संदर्भित रिट याचिकाओं में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.05.2025 के अनुपालन में, राज्य में प्रचलित ऐसी विधियों की पहचान करते हुए जिसमें कुष्ठ रोगियों तथा कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्तियों के संबंध में भेदभावपूर्ण अभिव्यक्तियां हों, के सम्बंध में विधिक प्राविधानों में उपयुक्त संशोधन हेतु अनुशंसा करने के लिए प्रमुख सचिव, विधायी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित की गई 03 सदस्यीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 17.07.2025 में निम्नलिखित अधिनियमों में संशोधन के सुझाव दिये गये हैं :-

1. The Uttar Pradesh Municipalities Act 1916 (U.P. Act No.2 of 1916)
2. The Uttar Pradesh Municipal Corporation Act,1959 (U.P. Act No.2 of 1959)
3. The Uttar Pradesh Prohibition of Beggary Act, 1975 (U.P. Act No.36 of 1975)

3- समिति की उक्त रिपोर्ट की प्रति मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-292/पी.एस.एम.एस./2025, दिनांक 25 जुलाई, 2025 द्वारा मूलरूप में समाज कल्याण विभाग एवं नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है ।

4- इसी क्रम में, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-698/पी.एस.एम.एस./2025, दिनांक 04.12.2025 द्वारा एडवोकेट ऑन रिकार्ड के पत्र दिनांक 20.11.2025, दिनांक 30.11.2025 एवं NHRC की रिपोर्ट की प्रतियां आपको प्रेषित करते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 12.11.2025 का अनुपालन समयान्तर्गत सुनिश्चित कराते हुए इसकी सूचना न्याय विभाग को प्रेषित करने की अपेक्षा की गयी है । उल्लेखनीय है कि NHRC की रिपोर्ट में उल्लिखित बिन्दुओं के संदर्भ में सम्बन्धित विभागों तथा समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में दिये गये सुझाव के आलोक में संदर्भित अधिनियमों (Acts) में यथावश्यक संशोधन समाज कल्याण विभाग एवं नगर विकास विभाग के स्तर से किया जाना है । प्रकरण में विभागों से प्राप्त अद्यतन सूचना का संक्षिप्त विवरण संलग्न (प्रति संलग्न) है ।

5- यह भी अवगत कराना है कि प्रकरण में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के स्तर पर दिनांक 05.12.2025 को हुई बैठक सहित इस मामले में कई बार निर्देशित किया जा चुका है परन्तु अभी तक इसका अनुपालन सम्बन्धित विभागों द्वारा नहीं किया गया है, जिससे मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष असहज स्थिति उत्पन्न हो सकती है । प्रश्नगत मामले के मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध होने की सम्भावना है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से इस आशय की एक brief status report दाखिल की जानी है कि क्या राज्य द्वारा तत्सम्बंधी laws/regulations/rules/circulars etc. में आवश्यक/उपयुक्त संशोधन किए गये हैं या नही ?

अत: अनुरोध है कि प्रश्नगत मामले में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन समयान्तर्गत सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए सूचना न्याय विभाग को अविलम्ब प्रेषित करने का कष्ट करें ।

संलग्नक : यथोक्त ।

Digitally signed by UDAI BHAN SINGH
(उदय भान सिंह)
अनु सचिव
Date: 14-05-2026 13:30:57

सचिव
15/05/26
(आर0 पी0 चौधरी)
निजी सचिव
प्रमुख सचिव विधायी
उच्च न्यायालय

3707/S(AT)/26
J.S.

18.05.2026

Scanned with OKEN Scanner

<u>सख्या-688(1)/सात-न्याय-1-2026-1927604, तादिनाक</u>

प्रतिलिपि, प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(मनमीत सिंह सूरी)

विशेष सचिव।

Digitally signed by
MANMEET SINGH SURI
Date: 14-05-2026
13:51:56

Scanned with OKEN Scanner

जारी / श्री ...
20.0-.2026

जारी
20/03/26

मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशों से आच्छादित प्रकरण/ शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

उत्तर प्रदेश शासन
न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय)
संख्या-582/सात-न्याय-1-2026-1927604
लखनऊ : दिनांक 20 मार्च, 2026

अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव
समाज कल्याण/ नगर विकास/ चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/ चिकित्सा शिक्षा/ ग्राम्य विकास/ व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास/ खाद्य एवं रसद/ आवास एवं शहरी नियोजन/ दिव्यांगजन सशक्तिकरण/ कार्मिक/ बेसिक शिक्षा/ माध्यमिक शिक्षा/ उच्च शिक्षा/ न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

रिट याचिका (सिविल) संख्या 83/2010 FEDERATION OF LEPY. ORGAN. (FOLO)&ANR. VERSUS UNION OF INDIA & ORS. एवं रिट याचिका (सिविल) संख्या 1151/2017 (PIL-W) (IA No. 38224/2020-INTERVENTION APPLICATION) में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07 मई, 2025 के अनुपालन में, राज्य में प्रचलित ऐसी विधियों की पहचान करते हुए, जिनमें कुष्ठ रोगियों तथा कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्तियों के सम्बन्ध में भेदभावपूर्ण अभिव्यक्तियां हों, के सम्बन्ध में विधिक प्राविधानों में उपयुक्त संशोधन हेतु अनुशंसा करने के लिए प्रमुख सचिव, विधायी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित की गई 03 सदस्यीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 17 जुलाई, 2025 में निम्नलिखित अधिनियमों में संशोधन के सुझाव दिए गए हैं:-

1. The Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act No. 2 of 1916)
2. The Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (U.P. Act No. 2 of 1959)
3. The Uttar Pradesh Prohibition of Beggary Act, 1975 (U.P. Act No. 36 of 1975)

2- समिति की उक्त रिपोर्ट की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या 292/ पी.एस.एम.एस./2025 दिनांक 25 जुलाई, 2025 द्वारा मूलरूप में **समाज कल्याण विभाग** एवं **नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन** को प्रेषित करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से अवगत कराने की अपेक्षा की गई थी।

3- इसी क्रम में अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या 698/ पी.एस.एम.एस./2025 दिनांक 04 दिसम्बर, 2025 द्वारा ऐडवोकेट ऑन रिकार्ड के पत्र दिनांक 20 नवम्बर, 2025 **(संलग्नक-1)** दिनांक 30 नवम्बर, 2025 **(संलग्नक-2)** एवं NHRC की रिपोर्ट

Scanned with OKEN Scanner

(संलग्नक-3) की प्रतियां आपको प्रेषित करते हुए मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 12 नवम्बर, 2025 का अनुपालन नियत समयान्तर्गत सुनिश्चित कराते हुए इसकी सूचना न्याय विभाग को प्रेषित करने की अपेक्षा की गई थी। उल्लेखनीय है कि NHRC की रिपोर्ट में उल्लिखित बिन्दुओं के सन्दर्भ में सम्बन्धित विभागों तथा समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के आलोक में सन्दर्भित अधिनियमों (Acts) में यथावश्यक संशोधन समाज कल्याण विभाग एवं नगर विकास विभाग के स्तर से किए जाने हैं। प्रकरण में विभागों से प्राप्त अद्यतन सूचना का संक्षिप्त विवरण संलग्न (संलग्नक-4) है।

4- इस प्रकरण में अधोहस्ताक्षरी के स्तर पर दिनांक 05 दिसम्बर, 2025 को हुई बैठक सहित इस मामले में कई बार निर्देशित किया जा चुका है, परन्तु अभी तक इसका अनुपालन सम्बन्धित विभागों द्वारा नहीं किया गया है, जिससे मा० उच्चतम न्यायालय के समक्ष असहज स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रश्नगत मामले के मा० उच्चतम न्यायालय के समक्ष शीघ्र सूचीबद्ध होने की सम्भावना है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से इस आशय की एक Brief Status Report दाखिल की जानी है कि क्या राज्य द्वारा तत्सम्बन्धी Laws/ Regulations/ Rules/ Circulars etc. में आवश्यक/ उपयुक्त संशोधन कर लिए गए हैं या नही ?

आपसे अनुरोध है कि प्रश्नगत मामले में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन समयान्तर्गत सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए सूचना न्याय विभाग को अविलम्ब प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त ।

20/1/2026

(एस0 पी0 गोयल)
मुख्य सचिव

Scanned with OKEN Scanner

माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या-83/2010 FEDERATION OF LEPY. ORGAN. (FOLO) & ANR. VERSUS UNION OF INDIA & ORS. एवं रिट याचिका (सिविल) संख्या-1151/2017 VIDHI CENTRE FOR LEGAL POLICY VS. UNION OF INDIA & ORS के सम्बंध में अन्य विभागों से न्याय अनुभाग-1 में प्राप्त कृत कार्यवाही की अद्यतन आख्या/सूचनाओं का विवरण।

दिनांक 13-05-2026 तक

क्र0 सं0	विभाग/अनुभाग का नाम	विभागों से प्राप्त अद्यतन पत्र संख्या व दिनांक	सम्बन्धित विभाग से प्राप्त सूचना/आख्या का संक्षिप्त विवरण
1.	समाज कल्याण अनुभाग-2	सं0-29 मु0स0/26-2-2026/ 1967283, दि0 01.04.2026	अवगत कराया गया है कि कुष्ठ रोगियों से सम्बन्धित भेदभाव के उन्मूलन और सामाजिक एकीकरण से सम्बन्धित बिन्दु उ0प्र0 भिच्छुक प्रतिषेध अधिनियम-1975 की धारा-21 में भेदभाव से सम्बन्धित शब्दों को हटाने से सम्बन्धित विधेयक पर मा0 मंत्रिपरिषद की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, परन्तु सदन का सत्रावसान हो जाने के कारण उक्त अनुमोदित विधेयक सदन में पुरःस्थापित नहीं हो पाया है, जिसके दृष्टिगत उक्त अनुमोदित विधेयक को अध्यादेश के रूप में लागू किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसे शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया है कि भिक्षावृत्ति के कार्य में लगे व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, भारत सरकार की SMILE योजना की उपयोजना के व्यापक कार्यान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाये जाने हेतु 03 चरणों में कुल 13 जनपद यथा-अयोध्या, कुशीनगर, लखनऊ, मथुरा, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, झाँसी, कानपुर नगर, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज एवं गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) का चयन किया गया है तथा इन जनपदों में चयनित स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से भिक्षुक के सर्वेक्षण/पुनर्वास और निगरानी से सम्बन्धित कार्य किये जा रहे हैं।
2.	माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4 (अधि0)	सं0-I/1280688/2026/ 15-4-2026, दि0 25.03.2026	माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा "शून्य" सूचना उपलब्ध करायी गयी है। इस सम्बंध में न्याय अनुभाग-1 के पत्र संख्या-851/सात-न्याय-1-2026-1927604, दिनांक 28.04.2026 द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग को यह अवगत कराया गया है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 04.12.2025 में अन्य विभागों सहित माध्यमिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित एन0एच0आर0सी0 रिपोर्ट/ऐडवाइजरी का बिन्दु '4.Elimination of Discrimination and Social Integration' है। अतः प्रकरण में एन0एच0आर0सी0 रिपोर्ट/ऐडवाइजरी के उक्त बिन्दु के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित बिन्दु के सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही कर इसकी सूचना न्याय विभाग को उपलब्ध करायी जानी है। प्रकरण में उपलब्ध करायी गयी सूचना में एन0एच0आर0सी0 रिपोर्ट/ऐडवाइजरी के उक्त बिन्दु का संज्ञान नहीं लिया गया है। अतः मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 04.12.2025 की प्रति सहित श्री आदर्श उपाध्याय, एडवोकेट ऑन-रिकार्ड, मा0 उच्चतम न्यायालय के पत्र दिनांक 30.11.2025 में विहित 'Brief Summary of NHRC Report on behalf of State of UP.' को संलग्नकर अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग को प्रेषित करते हुए उक्त संदर्भित पत्र में की गयी अपेक्षानुसार मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन नियत समयान्तर्गत सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने एवं इसकी सूचना न्याय विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

11.	सहकारिता अनुभाग-1	मा0-I/1182236/2025, दि0 22.12.2025	सहकारिता अनुभाग-1 द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या-83/2010 फेडरेशन ऑफ लेप्रोसी आर्गेनाइजेशन व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बंध में शासकीय अधिवक्ता, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को आख्या प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया है कि NHRC की रिपोर्ट/एडवाइजरी के संक्षिप्त विवरण के क्रम संख्या-3 के बिन्दु संख्या-4 Elimination of Discrimination and Social Integration में सहकारिता विभाग से संबंधित Section 453(1)(c) of Uttar Pradesh Co-operative Societies (Forty-fifth Amendment) rules, 2006 के सम्बंध में सहकारिता अनुभाग-1 की अधिसूचना सं0-1428/49-1-2021, दिनांक 03.12.2021 द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (उनसठवां संशोधन) नियमावली, 2021 में नियम-453(1) (ग) में कुष्ठ रोग से संबंधित भेदभाव पूर्ण उपबन्ध हटा दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त सहकारिता अनुभाग-1 की अधिसूचना सं0-1437/49-1-2021, दिनांक 03.12.2021 द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (साठवां संशोधन) नियमावली, 2021 में नियम-453(1) (ग) में भेदभाव पूर्ण उपबन्ध बहरा, गूँगा व अन्धा भी हटा दिये गये हैं।
12.	न्याय अनुभाग-1	-	मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 12.11.2025 के अनुपालन में एडवोकेट ऑन रिकार्ड के पत्र दिनांक 30.11.2025 द्वारा उपलब्ध करायी गयी Brief Summary एवं NHRC की Report के संलग्नक-II (Laws Containing Provisions Discriminatory To Leprosy Affected Persons) क्रमांक-88 पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से सम्बन्धित बिन्दु का उल्लेख है। इस सम्बंध में अवगत कराना है कि उक्त संदर्भित रिट याचिका में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.05.2025 के अनुपालन में न्याय विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 23 जून, 2025 द्वारा प्रमुख सचिव, विधायी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक 03 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था तत्क्रम में, प्रमुख सचिव, विधायी, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 17.07.2025 द्वारा विस्तृत आख्या (report) प्रस्तुत की गयी थी। समिति की उक्त रिपोर्ट के पृष्ठ-6 में उल्लिखित शीर्षक 'Previous efforts regarding elimination of discriminatory provisions' के बिन्दु-4 (रिपोर्ट का पृष्ठ-7) में निम्नवत अंकन है :- "4. The discriminatory provisions regarding enrollment, change of district of enrollment and enrolment after discontinued practice, in case of a pleader or Mukhtar suffering from leprosy, contained in Rules 16, 22 and 23 of part VI chapter XXIV of the Allahabad High Court Rules (Rules of the Court) 1952 have been amended/repealed vide Notification No.130 VIIIc (Correction Slip No.258) dated 18.04.2018, published in U.P. Gazette Part 1 (ka) dated 21.04.2018." समिति की उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट हो रहा है कि Brief Summary एवं NHRC की Report के संलग्नक-II (Laws Containing Provisions Discriminatory To Leprosy Affected Persons) के क्रमांक-88 पर उल्लिखित Allahabad High Court Rules, 1952 के सेक्शन-16, 22 एवं 23 को amend/repeal किया जा चुका है।

Scanned with OKEN Scanner